रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक / परीक्षा / 2024 / 1924 जबलपुर, दिनांकः 01/04/2024

अधिसूचना

दिनांक 28.03.2024 को आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को अधिसूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की ABC ID बनाया जाना अनिवार्य है। ABC ID एवं विश्वविद्यालय की अंकसूची में उल्लेखित नाम ही छात्र–छात्राओं के आधार कार्ड पर अंकित होना आवश्यक है। जिन छात्र–छात्राओं के आधार कार्ड में अंकसूची के अनुरूप नाम अंकित नहीं है वे छात्र–छात्रायें 05 दिवस के भीतर अपना आधार कार्ड में अंकसूची के अनुरूप नाम सुधरवाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् ही छात्र–छात्रायें अपना ABC ID बनावें।

अतः समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यों/नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में अपने महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को अवगत करावें ताकि Academic Bank of Credit (ABC) की सुविधाओं का लाभ छात्र–छात्राओं को प्राप्त हो सके।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ.क्र / परीक्षा / 2024 / 1924 "अ" जबलपुर, दिनांकः 01/04/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, सम्बद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को इस निर्देशित के साथ कि वे अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को उक्त के संबंध में तत्काल कार्यवाही हेतु आदेशित करें।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

उपकुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर